होटल प्रबंध, खानपान प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयुक्त पोषण संस्थान, पी-16, तारातला रोड, कोलकाता - 700088 (कलकत्ता) सोसाइटी

INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT, CATERING TECHNOLOGY & APPLIED NUTRITION, P-16, TARATALA ROAD, KOLKATA – 700 088 (CALCUTTA) SOCIETY

कर्मचारी-वर्ग विनियम STAFF REGULATIONS

होटल प्रबंध, खानपान प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयुक्त पोषण संस्थान (कलकत्ता) सोसाइटी के संगम-ज्ञापन और नियमावली के सुसंगत प्रावधान के अनुशीलन में, शासी-मंडल एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात्

In pursuance of the relevant provision of the Memorandum of Association and Rules of the Institute of Hotel Management, Catering Technology & Applied Nutrition (Calcutta) Society, the Board of Governors hereby makes the following regulations, viz:

अध्याय 1 CHAPTER I

1. **<u>संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ और लागू होना</u>: <u>SHORT TITLE, COMMENCEMENT AND APPLICATION</u> :**

(i) इन विनियमों को होटल प्रबंध, खानपान प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयुक्त पोषण संस्थान (कलकत्ता) सोसाइटी के (कर्मचारी-वर्ग) विनियम कहा जा सकता है.

These regulations may be called the Institute of Hotel Management, Catering Technology & Applied Nutrition (Calcutta) Society's (Staff) Regulations.

(ii) वे तत्काल प्रभावी होंगे तथा पहले से प्रभावी अन्य सभी कर्मचारी-वर्ग नियमों/विनियमों का स्थान ले लेंगे.

They shall come into force at once and shall replace any other staff rules/regulations that may have been in force.

(iii) ये नियम सोसाइटी के सभी कर्मचारियों पर लागू होंगे. सोसाइटी में क़रार/संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में, केवल वही नियम लागू होंगे, जिनका प्रावधान संबंधित संविदा या क़रार में किया गया है. जहाँ तक केंद्र या राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों का संबंध है, ऐसे कर्मचारियों से संबंधित सभी प्रकरण प्रतिनियुक्ति की शर्तों के अनुसार शासित होंगे और यदि किसी विशेष प्रकरण का प्रतिनियुक्ति की शर्तों में प्रावधान नहीं है, तो इस बारे में, यथा प्रकरण, मूल सरकार या विभाग को पत्र भेजा जाएगा.

They shall apply to all the employees of the society. In respect of the persons employed by the Society on Agreement/Contract, the rules shall be those as may be specifically provided in the Contract or Agreement as the case may be. In respect of the persons appointed on deputation from the Central or State Government, all matters relating to such employees shall be governed by the terms of deputation and if on any specific matter there is no provision about the same in terms of deputation, reference should be made to the parent Government or Department as the case may be.

2. परिभाषाएं DEFINITIONS

इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः

In these regulations, unless the context otherwise requires :

(i) "परिशिष्ट" से इन विनियमों की परिशिष्ट अभिप्रेत है;

"Appendix" means an Appendix to these regulations;

(ii) "नियुक्ति प्राधिकारी" से विनियम 5 में निर्धारित प्राधिकारी अभिप्रेत है;

"Appointing Authority" means the authority prescribed in Regulation 5;

(iii) "शासी मंडल" से सोसाइटी का शासी मंडल अभिप्रेत है;

"Board of Governors" means the Board of Governors of the Society;

(iv) "अध्यक्ष" से शासी मंडल का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

"Chairman" means the Chairman of the Board of Governors;

(v) "सचिव" से शासी मंडल का सचिव अभिप्रेत है;

"Secretary" means the Secretary of the Society;

(vi) "सोसाइटी" से होटल प्रबंध, खानपान प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयुक्त पोषण संस्थान (कलकत्ता) सोसाइटी अभिप्रेत है;

"Society" means the Institute of Hotel Management, Catering Tehnology & Applied Nutrition (Calcutta) Society;

(vii) "कर्मचारी" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो सोसाइटी की पूर्णकालिक सेवा में हो परंतु इसमें सोसाइटी द्वारा दिहाड़ी पर नियुक्त कोई व्यक्ति शामिल नहीं है;

"Employee" means a person who is in the whole time service of the society but does not include a person employed by the Society on daily wages;

(viii) "कार्यकारिणी समिति" से सोसाइटी की कार्यकारिणी अभिप्रेत है;

"Executive Committee" means the Executive Committee of the Society;

(ix) "संस्थान" से होटल प्रबंध, खानपान प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयुक्त पोषण संस्थान, कोलकाता अभिप्रेत है;

"Institute" means the Institute of Hotel Management, Catering Technology & Applied Nutrition, Kolkata;

(x) "प्राचार्य" से प्राचार्य, होटल प्रबंध, खानपान प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयुक्त पोषण संस्थान, कोलकाता अभिप्रेत है;

"Principal" means the Principal of Institute of Hotel Management, Catering Technology & Applied Nutrition, Kolkata;

(xi) "केंद्रीय सरकार" से केंद्रीय सरकार के तहत विषय से संबंधित मंत्रालय या विभाग अभिप्रेत है.

"Central Government" means Ministry or Department in the Central Government dealing with the subject.

3. पदों का वर्गीकरण CLASSIFICATION OF POSTS

सोसाइटी में पदों के वर्गीकरण और इन पदों से सम्बद्ध वेतन-मान परिशिष्ट 2 के अनुसार होंगे और ये वर्गीकरण उन आदेशों के अध्यधीन होंगे, जिन्हें समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों/अनुदेशों के अनुरूप समय-समय पर सोसाइटी द्वारा जारी किया जाए.

The classification of the posts in the Society and the scales of pay attached thereto shall be as set out in Appendix II and shall be subject to such orders as may be issued by the Society from time to time in conformity with the orders/instructions issued by the Central Government from time to time.

अध्याय 2 CHAPTER 2

4. कर्मचारियों की संख्या STRENGTH OF STAFF

शासी मंडल, केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विहित मानकों, आदेशों/मार्गदर्शी सिद्धांतों के अध्यधीन, अपने कार्यों के निर्वहन के लिए अपेक्षित विभिन्न वर्गों के स्थायी व अस्थायी दोनों प्रकार के कर्मचारियों की संख्या केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से समय-समय पर अवधारित करेगा.

The Board of Governors shall from time to time determine with the approval of the Central Government the strength of the staff both permanent and temporary under the various categories required for carrying out its functions subject to the norms, orders/guidelines prescribed by the Central Government from time to time.

5. नियुक्ति APPOINTMENT

i) वर्ग "ग" व वर्ग "घ" के पदों पर नियुक्तियाँ (परिशिष्ट ।।।) प्राचार्य द्वारा की जाएंगी और वर्ग "क" व वर्ग "ख" के पदों पर नियुक्तियाँ क्रमशः शासी मंडल और कार्यकारिणी समिति अथवा ऐसे चयनों के लिए मंडल के प्राधिकार से विधिवत् गठित उप समिति द्वारा की जाएंगी, परंतु शर्त यह है कि प्राचार्य की नियुक्ति सोसाइटी नियम एवं विनियम के नियम 24(i) प्रावधानों के अनुसार होगी.

Appointments (form Appendix III) to posts in Group "C" and "D" shall be made by the Principal and appointments to posts in Group "A" and "B" shall be made by the Board of Governors and by the Executive Committee respectively or by a duly constituted sub-ciommittee auhorized by the Board to hold such selections provided that the appointment of the Principal shall be made in accordance with the provisions of Rule 24(i) of the Rules & Regulations of the Society.

ii) नियुक्तियों के लिए अर्हताएं Qualification for appointments :

संस्थान में विभिन्न संवर्गों के पदों पर नियुक्ति की अर्हताएं ऐसी होंगी, जैसी कि प्राचार्य/शासी मंडल द्वारा समय-समय पर, इस बारे में केंद्रीय सरकार के आदेशों/अनुदेशों के अनुरूप, अवधारित की जाएं.

The qualifications for appointment to the posts in various cadres in the Institute shall be such as may be determined by the Principal/Executive Committee/Board of Governors from time to time in accordance with any orders/instructions issued by the Central Government in this regard.

iii) भर्ती की पद्धतिः पदों पर भर्तियाँ निम्नवत् की जा सकती हैः

क) सीधी भर्ती द्वारा;

ख) पदोन्नति द्वारा;

ग) सरकारी विभागों एवं अन्य संस्थानों से उधार ली गई सेवाओं के आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति द्वारा; और

घ) संविदा के आधार पर भर्ती

टिप्पणीः किसी भी ग्रेड के पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति, उस ग्रेड से तत्काल निचले ग्रेड के पदों पर स्थायी या स्थानापन्न किसी भी हैसियत में सेवारत कर्मचारियों में से ही की जाएगी.

Method of Recruitments : Recruitment to the posts may be made :

a) by direct recruitment;

b) by promotion; and

c) by appointment of employees borrowed from Government Departments and other Institutes.

d) on contract

Note : Appointment to a post in any grade by promotion shall be made whether in a permanent or officiating capacity from amongst employees serving in posts in the next lower grade.

iv) तदर्थ नियुक्तिः इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, शासी मंडल/ कार्यकारिणी समिति, सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा, ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, तदर्थ नियुक्तियाँ करने की शक्ति किसी भी प्राधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगी.

Adhoc appointment : Notwithstanding anything contained in the above rules, the Board of Governors/Executive Committee may by a general or special order and subject to such condition as it may specify in such order delegate to any authority the power to make adhoc appointments.

V) अधिवर्षिताः Superannuation:

(क) संस्थान के सभी कर्मचारी, श्रेणी "घ" के कर्मचारियों को छोड़ कर, 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होंगे, परंतु यदि शासी मंडल सोसाइटी के हित में किसी कर्मचारी की उत्कृष्ट सेवा को ध्यान में रखते हुए संतुष्ट है, तो यह मंडल एसे किसी कर्मचारी को, अधिवर्षिता की आयु के बाद भी, मौजूदा शर्तों व निबंधनों पर अथवा पुनर्नियुक्ति पर अथवा संविदा के आधार पर, दो वर्ष से अनधिक किसी भी अवधि के लिए ऐसे प्रकरणों में केंद्रीय सरकार के अनुदेशों/आदेशों के अध्यधीन, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, लिखित आदेश के ज़रिए, सेवा-विस्तार दे सकता है. श्रेणी "घ" के कर्मचारी 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होंगे.

(a) All employees of the Institute except Grade "D" employees shall retire on attaining the age of 58 years provided that the Board of Governors may if satisfied that the interest of the Society so requires and in consideration of the outstanding nature of work done by an employee, extend by an order in writing, with the prior approval of the Central Government the period of service of any employee beyond the age of superannuation on the existing terms and conditions or on re-employment or on contract service for any period not exceeding two years in aggregate, subject to any instructions/orders issued by the Central Government in such matters, Grade "D" employees shall retire on attaining the age of 60 years.

(ख) विनियम (क) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई कर्मचारी अपनी पूर्ण और अस्थाई असमर्थता के कारण, जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के सदृश प्रवर्गों के लिए समय-समय पर लागू सुसंगत नियमों के अनुसार अवधारित की गई हो समुचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा असमर्थ करार दिए जाने पर सेवा में नहीं रह सकेगा.

(b) Notwithstanding anything contained in Regulation (a) an employee shall, on invalidation by the appropriate medical authority, cease to be in service on account of complete and permanent incapacitation determined in accordance with the relevant rules applicable to comparable categories of Central Government employees from time to time.

VI) परिवीक्षा Probation :

i) प्रत्येक कर्मचारी, किसी भी पद पर नियुक्त होने पर (चाहे यह नियुक्ति पदोन्नति के रूप में हो अथवा अन्यथा), नियमित नियुक्ति की तारीख़ से एक वर्ष तक परिवीक्षाधीन रहेगा.
Every employee shall, on appointment to any post (whether on promotion or otherwise) be on probation for a period of one year commencing from the date of regular appointment.

ii) इस विनियम में वर्णित कोई बात उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी, जो केंद्रीय/राज्य सरकार अथवा किसी संस्थान से प्रतिनिक्ति पर नियुक्त हुए हों.
Nothing in this regulation shall apply to the persons employed on deputation from Central/State Government or an Institute.

VII) चिकित्सक दृष्ट्या योग्यताः संस्थान में किसी भी पद पर पहली बार नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को पद का कार्य ग्रहण करने से पूर्व, सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी अथवा संस्थान द्वारा यथा विहित सक्षम प्राधिकारी का चिकित्सीय स्वस्थता प्रमाणपत्र परिशिष्ट 1 में यथा विहित प्ररूप के अनुसार, प्रस्तुत करना होगा. इस तरह का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, यदि

क) कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर आया है;
ख) कर्मचारी पुनर्नियुक्त हुआ है, बशर्ते कि दोनों नियुक्तियों के बीच सेवा-भंग तीन माह से कम हो;
ग) कर्मचारी को चिकित्सीय दृष्टि से पहले योग्य घोषित किया गया हो.संबंधित कर्मचारी को चिकित्सीय स्वस्थता प्रमाणपत्र अपने ख़र्चे पर प्राप्त करना होगा. तथापि, विधिमान्य रसीद प्रस्तुत करने पर उसे इस राशि की प्रतिपूर्ति की जा सकती है.

Medical Fitness : Every person appointed for the first time to any post in the Institute shall, before joining duty in the post, be required to furnish a medical certificate of fitness in the form prescribed in Appendix I from a Competent Medical Authority or from an Authority as may be prescribed by the Institute. No such certificate need be furnished if;

a) an employee has come on deputation;
b) an employee is re-employed, provided break in the two appointments is less than three months;
c) an employee has already been medically found fit. Medical certificate of fitness will have to be obtained by the employee concerned at this own cost. However, on production of valid receipt, the amount of fee may be reimbursed to him.

VIII) सेवा समाप्तिः Termination of Service :

क)

i. केंद्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा किसी संस्थान से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्ति को छोड़ कर, अन्य कोई कर्मचारी संस्थान में अपनी सेवा तब तक नहीं छोड़ अथवा रोक सकेगा, जब वह ऐसा करने के अपने इरादे के बारे में प्राचार्य को एक माह पहले लिखित सूचना न दे दे.
ii. परंतु यह और कि जहाँ कर्मचारी ने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली है और उसकी सेवा पुष्ट हो चुकी है, इस प्रकार की सूचना की अवधि तीन माह होगी.
iii. तथापि, यदि कोई कर्मचारी तत्काल सेवा छोड़ना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में उसे ऐसा करने की अनुमति तभी दी जा सकती है, जब वह प्रकरणानुसार सूचना की अवधि का वेतन व भत्ता जमा कर दे.
iv. बशर्ते कि नियोक्ता अधिकारी ऐसे प्रतिकर के भुगतान की अपेक्षा से, पूर्णतः या अंशतः, छूट, इस बारे में कारण लेखबद्ध करते हुए, दे सकता है.

ख)

i) संस्थान किसी भी ऐसे कर्मचारी की सेवा, जिसने परिवीक्षा अवधि पूरी नहीं की है, एक माह की लिखित सूचना दे कर अथवा इसकी एवज़ एक

माह के वेतन-भत्ते अदा कर, किसी भी समय और कोई कारण बताए बग़ैर, समाप्त कर सकता है.

ii) संस्थान किसी भी ऐसे कर्मचारी की सेवा, जिसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली है, और जिसकी सेवा पुष्ट हो चुकी है, तीन माह की लिखित सूचना दे कर अथवा इसकी एवज़ तीन माह के वेतन-भत्ते अदा कर, किसी भी समय और कोई कारण बताए बग़ैर, समाप्त कर सकता है.

ग) वर्ग "ग" और वर्ग "घ" कर्मचारियों के मामले में प्राचार्य सक्षम प्राधिकारी होंगे, जबकि वर्ग "ग" व इससे ऊपर के पदों के संबंध में कार्यकारिणी समिति सक्षम प्राधिकारी होगी. तथापि, कार्यकारिणी समिति इस शक्ति का प्रयोग तब ही करेगी,जब इस बार् में शासी मंडल का अनुमोदन विल जाए.

घ) कर्मचारियों के "आचरण और अनुशासन" विषयक सुसंगत नियमों के प्रावधानों के अनुसार, किसी कर्मचारी को कोई सूचना दिए बग़ैर या इस सूचना की एवज़ वेतन दिए बग़ैर सेवानिवृत्त करने, सेवा से हटाने अथवा पदच्युत करने का जो अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी के पास दै, वह अधिकार इन नियमों में वर्णित किसी बात से प्रभावित नहीं होगा.

a) i) No employee other than a person on deputation from the Central Government or any State Government or an Institute shall leave or discontinue his service ini the Institute except after giving one month's notice in writing of his intentino to do so to the Principal.

ii) Provided further that where an employee has completed the period of probation and stands confirmed, the period of such notice shall be three months.

iii) However, if an employee wants to leave service instantaneously, he may be permitted to do so by depositing with the Institute's pay and allowance for the period of notice, as the case may be.

iv) Provided that the appointing authority may, for reasons to be recorded in writing, waive either wholly or in part, the requirement as to payment of such compensation.

b) i) The Institute may at any time and without assigning any reasons terminate the services of any employee who has not completed his probation, after giving one month's notice in writing or a month's pay an allowances in lieu thereof.

ii) The Institute may at any time and without assigning any reason terminate the services of an employee who has completed period of probation and stands confirmed by giving him three month's notice or pay an allowances thereof.

c) In case of Group "C" and Group "D" employees the Principal shall be the Competent Authority while Executive Committee for Group "B" posts and above shall be the Competent Authority. However, the Executive Committee will exercise this power only after the Board of Governors has accorded its approval in this behalf.

d) Nothing contained in these Regulations shall afffect the right of the appointing authority to retire, remove or dismiss an employee without giving any notice or pay in lieu of notice in accordance with the provisions of relevant Rules concerning "conduct and discipline" of employees.

अध्याय 3 CHAPTER 3

6. सेवा की सामान्य शर्तें GENERAL CONDITIONS OF SERVICE

वेतन नियतन, वेतन वृद्धि, वेतन वृद्धियों के लिए सेवा की गणना, अनिवार्य कटौतियाँ, वैकल्पिक कटौतियाँ, विशेष वेतन की मंज़ूरी, वैयक्तिक वेतन, मानदेय एवं शुल्क, मँहगाई भत्ता, अतिरिक्त मँहगाई भत्ता, अंतरिम राहत, छुट्टी यात्रा रियायत, प्रतिकर भत्ता, गृह किराया भत्ता, बाल शिक्षण भत्ता, गृह निर्माण अग्रिम, त्यौहार अग्रिम, वाहन क्रय अग्रिम, यात्रा एवं यात्रा भत्ते की ग्राह्यता, वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम, आचरण नियम, अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान, कार्य ग्रहण अवधि, छुट्टी हक़दारी एवं विभिन्न किस्मों की छुट्टियों की मंज़ूरी की शर्तें, चिकित्सीय नियम, उपदान एवं सेवांत हितलाभों आदि जैसे सेवा शर्तों से संबंधित सभी विषयों पर केंद्रीय सरकार के जो नियम केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों/सेवकों की सदृश श्रेणियों के लिए लागू हैं, वही नियम, यथा आवश्यक परिवर्तनों के साथ, सुसंगत विषय के बारे में केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सभी आदेशों/संशोधनों/ अनुदेशों के अध्यधीन, सोसाइटी के कर्मचारियों की तत्समान श्रेणियों के लिए भी लागू होंगे, परंतु यदि शासी मंडल, केंद्रीय सरकार की अनुमति से, किसी विशिष्ट सेवा के मामले में विशिष्ट प्रावधान/नियम अंगीकार करता है, तो संस्थान के कर्मचारी ऐसे विशिष्ट मामलों के संबंध में उन प्रावधानों के अध्यधीन होंगे.

In all maters relating to service condtions such as fixation of pay; increments; counting of service for increments; compulsory deductions; optional deductions; grand of special pay; personal pay; honorarium and fee; Dearness Allowance; Additional Dearness; Interim Relief; Leave Travel Concession; Compensatory Allownce; House Rent Allowance; Children Education Allowance; House Building Advance; Festival Advance; Advances for purchase of conveyances; Travel and Admissibility of Travel Allowance; Classification; Control and Appeal Rules; Conduct Rules; Contributions to Contriburoty Provident Fund; Joint Time; Leave Entitlement and conditions for grant of various kinds of leaves; Medical Rules; Gratuity and Terminal Benefits etc. the Central Government Rules on the subjects, as applicable to comparable categories of Central Government Employees/Servants; shall Mutatis Mutandis be applicable to the corresponding categories of the employees of the Society subject to any orders/amendments/instructions issued by the Central Government on the relevant subject from time to time, except that where the Board of Governors with the approval of the Central Government adopts a specific provision/rules in respect of any specific service matters, the employees of the institute shall be subject to those provisions in respect of such specified matters.

टिप्पणीः Note :

I. उक्त सूची दृष्टांत के रूप में है, अंतिम नहीं है. जिन मामलों को ऊपर लिखा नहीं गया है, उन मामलों को भी उसी तरीक़े से विनयमित किया जाएगा, जिस तरीक़े से तत्समान श्रेणियों के केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के मामले में किया जाता है.

The above list is only illustrative and not exhaustive. All matters which may not have been spelt out above shall also be regulated in the same manner as in the case of Central Government servants of corresponding categories.

II. संस्थान के कर्मचारी समय-समय पर संशोधित अंशदायी भविष्य निधि (भारत) नियम, 1962 में यथा अधिकथित निबंधन और शर्तों के तहत अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान करने के पात्र होंगे.

Employees of the Institute shall be eligible to contribute to contributory Provident Fund under the terms and conditions as laid down in Cotributory Provident Fund (India) Rules, 1962 as amended from time to time.

अध्याय 4 CHAPTER 4

7. रिहाइशी आवास RESIDENTIAL ACCOMMODATION

(i) सोसाइटी अपने स्वामित्व के रिहाइशी आवासों में से, किसी कर्मचारी को, उसके वेतन, दर्जे व हैसियत के अनुसार ऐसा आवास, जैसा वह उचित समझे, मासिक अनुज्ञप्ति शुल्क की ऐसी दर पर, जैसी वह उचित समझे, अपने विवेकानुसार उपलब्ध करा सकती है. किराए पर आवास लेकर उसे कर्मचारि-वर्ग को देने का कोई प्राधिकार सोसाइटी के पास नहीं होगा.

Out of the residential accommodation owned by the Society, the Society may at its discretion make available such residential accommodation as it considers appropriate to the pay, rank and status of an employee, and on such rate of monthly licence fee as it considers reasonable. The Society will not have any authority to hire accommodation and give it to staff members

(ii) किसी कर्मचारी के वेतन, दर्जे व हैसियत के अनुरूप ऐसे रिहाइशी आवास की उपयुक्तता पर निर्णय लेते समय, साथ ही, ऐसे आवास के लिए कर्मचारी से वसूला जाने वाला अनुज्ञप्ति शुल्क अवधारित करते समय, सोसाइटी, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को आवास आबंटन विषयक नियमों के तहत वर्णित आवास-श्रेणियों व अनुज्ञप्ति शुल्क की प्रभावी दर को ध्यान में रखेगी, परंतु इस प्रकार के प्रश्नों के संबंध में सोसाइटी का निर्णय अंतिम होगा.

In deciding the suitablitity of such residential accommodation to an employee’s pay, rank and status as well as in determining the licence fee to be recovered from the employee for such accommodation, the Society will bear inmind the scales of accommodation and the rates of house rent in force under the Central Government rules governing the allotment of residential accommodation to its employees, but the decision of the Society in regard to such questions shall be final.

(iii) यदि कोई कर्मचारी सोसाइटी द्वारा उपलब्ध कराए गए रिहाइशी आवास को स्वीकार करने से इनकार करता है और यदि सोसाइटी इन कारणों को पर्याप्त एवं स्वीकार्य नहीं मानती, तो सोसाइटी सुसंगत नियमों के अनुसार उस कर्मचारी को देय गृह किराया भत्ता बंद कर सकती है.

If an employee refuses to accept the residential accommodation made available by the Society and if the Society does not consider his reasons for doing so aequeate and acceptable, the Society may stop the house rent allowance payable to him in terms of relevant rules.

(iv) कर्मचारी को उपयुक्त श्रेणी का आवास रिहाइशी आवास आबंटन हेतु बनाए गए नियमों के अनुसार ही आबंटित किए जाएंगे.

Accommodation of appropriate scale will be allotted to the employee strictly in accordance with the “Rules” drawn up for allotment of such residential accommodation.

अध्याय 5 CHAPTER 5

जो विषय इन नियमों के अंतर्गत नहीं आ सके हैं, उन विषयों का निपटान भारत सरकार के तद्विषयक अनुदेशों के आधार पर किया जाएगा.

Matters not covered by these Rules will be goverened by Government of India's instructions on that behalf.

अध्याय 6 CHAPTER 6

निम्नलिखित शक्तियाँ, प्रत्येक शक्ति के सम्मुख प्रदत्त प्राधिकारियों द्वारा प्रयोग में लाई जाएंगीः-

The following powers will be exercised by the authorities given against each:-

क्रम Sl	**शक्ति का स्वरूप Nature of power**	**शक्ति का विस्तार Extent of power**	**इसे प्रयोग करने वाले सक्षम प्राधिकारी Authority Competent to exercise it**
01	चिकित्सीय परीक्षण विषयक मामलेः Matters regarding Medical Examination : i) नियुक्ति हेतु For appointment ii) छुट्टी मंज़ूरी हेतु For grant of leave iii) किसी अन्य प्रयोजन हेतु For any other purpose	पूर्ण Full	प्राचार्य Principal
02	परिवीक्षा अवधिः Probation Period : i) प्रारंभिक परिवीक्षा Initial probation ii) परिवीक्षा-विस्तार Extension of probation iii) परिवीक्षा-समापन Completion of probation	पूर्ण Full	नियुक्ति प्राधिकारी Appointing Authority
03	सेवा-विस्तार Extension of Services : i) अधिवर्षिता के बाद और पुनर्नियोजन/ संविदा पर नियोजन Beyond superannuation and re-employment/contract employment	पूर्ण Full	केंद्रीय सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन शासी मंडल Board of Governors subject to approval of the Central Government
04	नियुक्तियाः Appointments : वर्ग क Group A वर्ग ख Group B वर्ग ग Group C वर्ग घ Group D	पूर्ण Full	शासी मंडल Board of Governors शासी मंडल Board of Governors प्राचार्य Principal प्राचार्य Principal
05	नियुक्तियाः Appointments : वर्ग क Group A वर्ग ख Group B वर्ग ग Group C वर्ग घ Group D	पूर्ण Full	शासी मंडल Board of Governors शासी मंडल Board of Governors प्राचार्य Principal प्राचार्य Principal
06	स्थापना में कटौती Reduction in establishment	पूर्ण Full	शासी मंडल Board of Governors
07	अनुशासनिक प्राधिकारी Disciplinary Authority वर्ग क व वर्ग ख Group A & Group B वर्ग ग व वर्ग घ Group C & Group D	पूर्ण Full	शासी मंडल Board of Governors प्राचार्य Principal
08	वेतन नियतन Pay Fixation	पूर्ण Full	प्राचार्य Principal
09	दक्षतारोध पार – सभी कर्मचारी E.B Crossing – all employees	पूर्ण Full	प्राचार्य Principal

क्रम Sl	शक्ति का स्वरूप Nature of power	शक्ति का विस्तार Extent of power	इसे प्रयोग करने वाले सक्षम प्राधिकारी Authority Competent to exercise it
10	विशेष अग्रिम/वेतन वृद्धि मंज़ूरी - सभी कर्मचारी Grant of special advance/increment – all employees	पूर्ण Full	नियुक्ति प्राधिकारी Appointing Authority
11	भत्ते - ग्राह्यता- सभी कर्मचारियों के बारे में निर्णय Allowances – admissibility of decision regarding all employees	पूर्ण Full	प्राचार्य Principal
12	वेतन और भत्तों की दर का अंगीकरण Adoption of rate of pay and allowances	पूर्ण Full	शासी मंडल Board of Governors
13	सभी कर्मचारियों को सभी किस्म की छुट्टियों की मंजूरी Grant of Leave - all kinds to all employees	पूर्ण Full	प्राचार्य Principal
14	छुट्टी के दौरान ड्यूटी पपर भेजना - सभी कर्मचारी Detailing for duty during vacation – all employees	पूर्ण Full	प्राचार्य Principal
15	आवास - सभी कर्मचारी Accommodation – all employees	पूर्ण Full	प्राचार्य Principal
16	यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता - सभी कर्मचारी T.A/D.A – all employees	पूर्ण Full	प्राचार्य Principal
17	वायुयान-यात्रा - सभी कर्मचारी Travel by air – all employees	पूर्ण Full	पात्र अधिकारियों के संबंध में कार्यक्रिणी समिति और अपात्र अधिकारी के बारे में केंद्र सरकार के अनुमोदन से शासी मंडल Executive Committee in the case of entitled officers and Board of Governors with approval of the Central Government in the case of non-entitled officer
18	उपदान एवं अन्य सेवालनिवृत्ति प्रसुविधाएं - सभी कर्मचारी Gratuity and other retirement benefits – all employees	पूर्ण Full	नियुक्ति प्राधिकारी Appointing Authority
19	किसी भी नियम का शिथिलीकरण/निर्वचन Relaxation/Interpretation of any Rule	पूर्ण Full	केंद्रीय सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन शासी मंडल Board of Governors subject to approval of Central Government

टिप्पणीः Note :

(i) उक्त विषयों में से प्राचार्य से संबंधित किसी भी विषय पर निर्णय केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से शासी मंडल के स्तर पर लिया जाएगा.

In respect of any of the above matters concerning the Principal, the decision will be taken at the level of the Board of Governors with the approval of the Central Government.

(ii) बेहतर दैनंदिन प्रशासन के हित में, प्राचार्य अपनी शक्तियाँ अपने अधीनस्थ किसी भी प्राधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकते हैं.

For effecting better day to day administration, Principal may delegate his powers to any authority subjordinate to him.

(iii) वित्तीय शक्तियाँ सोसाइटी की उप-विधियों के अनुसार प्रयोग में लाई जाएंगी.

Financial powers shall be exercised as per Bye-laws of the Society.

परिशिष्ट । APPENDIX I

नियुक्ति के लिए स्वस्थता का चिकित्सीय प्रमाणपत्र

Medical Certificate of fitness for appointment

मैं, डॉक्टर ....एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैंने होटल प्रबंध, खानपान प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयुक्त पोषण संस्थान, कोलकाता में नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी श्री/श्रीमती/कुमारी .... का परीक्षण कर लिया है तथा मुझे श्री/श्रीमती/कुमारी .... में कोई रोग (संचारी अथवा अन्यथा), संरचनागत दुर्बलता अथवा अंग-शैथिल्य नहीं मिला है, सिवाय इसके अर्थात् ....

I, Dr. ....hereby certify that I have examined Shri/Smt./Km .... a candidate for employment in the Institute of Hotel Management, Catering Technology & Applied Nutrition, Kolkata and can not discover that Shri/Smt./Km .... has any disease (communicable or otherwise), constitutional weakness or bodily infirmity except ....

मैं इसको होटल प्रबंध, खानपान प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयुक्त पोषण संस्थान, कोलकाता में नियुक्ति हेतु निर्हरता नहीं मानता. उनकी आयु उनके कथनानुसार...............वर्ष है और देखने में आयु ....वर्ष लगती है.

I do not consider this a disqualification for employment in the Institute of Hotel Management, Catering Technology & Applied Nutrition, Kolkata. His/Her age according to his/her own statement is .... years and by appearance .... years.

उनके हस्ताक्षर/ उनका अँगूठा छाप नीचे प्रस्तुत है.

His/Her signature/Thumb Impression is given below.

दिनांक Dated the ....

डॉक्टर का नाम और पदनाम Name and designation of the Doctor

परिशिष्ट ।। APPENDIX II

(विनियम 3 देखें See Regulations 3)

पदों का वर्गीकरण और वेतन-मान

Classification of Posts and Scales of Pay

वर्ग Group	पद का नाम Name of Post	पदों की संख्या No. of Posts	वेतन-मान Scale of Pay

(सभी पद वर्ग "क", "ख", "ग" और "घ" के रूप में यथोचित ढंग से वर्गीकृत करते हुए इस परिशिष्ट में सूचीबद्ध किए जाएं.

All the posts to be appropriately classified in Group "A", "B", "C" and "D" and listed in this Appendix).

परिशिष्ट ।।। APPENDIX ।।।

(नियुक्ति-प्रस्ताव प्ररूप Form offer of appointment)

पंजीकृत पावती Registered with AD

होटल प्रबंध, खानपान प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयुक्त पोषण संस्थान, पी-16, तारातला रोड, कोलकाता – 700 088
INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT, CATERING TECHNOLOGY & APPLIED NUTRITION, P-16, TARATALA ROAD, KOLKATA – 700 088.

सं. No. .... दिनांकः Date : ....

प्रिय महोदय/महोदया, Dear Sir/Madam,

आपके दिनांक.........................के आवेदन और इस संबंध में.......................... को हुए साक्षात्कार के संदर्भ में, मुझे होटल प्रबंध, खानपान प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयुक्त पोषण संस्थान (कलकत्ता) सोसाइटी की ओर से, आपको संस्थान में .... के पद पर नियुक्ति-प्रस्ताव की पेशकश का प्राधिकार मिला है.

With reference to your application dated ...., the interview for which you appeared on .... I have been authorized to offer you on behalf of the Institute of Hotel Management, Catering Technology & Applied Nutrition (Calcutta) Society, a post .... at the Institute.

इस नियुक्ति की निबंधन और शर्तें निम्नवत् हैः-

The Terms & Conditions of this appointment will be as follows :

i) वेतनः Pay : रु. Rs.................................. प्रति माह वेतन-मान per month in the pay scale of ....

ii) भत्ते, छुट्टी और अन्य निबंधन व शर्तें : Allowances, leave and other Terms and Conditions : ये सभी सोसाइटी के 'कर्मचारी-वर्ग विनियम' के अभिकथनानुसार होंगी. भत्ते आदि केंद्रीय सरकार के समरूप पदों पर मिलने वाले भत्तों के सदृश होंगे.
These will be as laid down in the 'Staff Regulations' of the Society. The allowances etc. are comparable to those attached to similar posts under the Central Government.

iii) नियुक्ति का स्वरूपः Nature of appointment : नियुक्ति पूर्वोक्त कर्मचारी-वर्ग विनियम में यथा अभिकथित रीति के अनुसार 12 (बारह) माह के लिए परिवीक्षाधीन होगी.
The appointment will be on probation for a period of 12 (twelve) months in the manner laid down in the Staff Regulations aforesaid.

iv) सेवा-समाप्ति का स्वरूपः Nature of Termination : परिवीक्षाधीन अवधि के दौरान, यह नियुक्ति किसी भी पक्ष अर्थात् आपकी अथवा सोसाइटी की ओर से दी गई एक माह की सूचना पर, बिना कोई कारण बताए, समाप्त की जा सकती है. आपकी नियुक्ति स्थाई होने के बाद, यह नियुक्ति किसी भी पक्ष की ओर से दी गई तीन माह की सूचना पर, बिना कोई कारण बताए, समाप्त की जा सकती है.

तथापि, सोसाइटी, तत्काल अथवा सूचना की नियत अवधि के अवसान से पूर्व सूचना की अवधि के या इस अवधि के अपर्यवसित अंश के वेतन व भत्तों के समतुल्य राशि का भुगतान करके आपकी सेवाएं समाप्त करने का अधिकार अरक्षित रखती है.
During the period of probation, the appointment may be terminated at any time by one month's notice given by either side viz. yourself or the Society without assigning any reasons. After your appointment is confirmed, the appointment may be terminated at any time by three months' notice given by either side without assigning any reasons.

The Society, however, reserves the right of terminating your services forthwith or before the expiry of the stipulated period of notice by making payment to you of a sum equivalent to the pay and allowances for the period of notice or the unexpired protion thereof.

v) चिकित्सीय प्रमाण-पत्रः Medical Certificate : आपको अपनी नियुक्ति के एक माह के भीतर किसी चिकित्सा व्यवसायी अथवा संस्थान द्वारा नामित प्राधिकारी से चिकित्सीय स्वस्थता प्रमाण-पत्र अपनी लागत पर प्रस्तुत करना होगा.

You are required to produce within one month of appointment a Medical Certificate of fitness at your own cost from a Medical Practitioner or authority nominated by the Society.

vi) कार्य का स्थलः Place of Duty : आपके कार्य का स्थल होटल प्रबंध, खानपान प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयुक्त पोषण संस्थान अथवा संस्थान के शासी मंडल द्वारा यथा निर्णीत कोई अन्य स्थल होगा.
Your place of duty will be at the Institute of Hotel Management, Catering Technology & Applied Nutrition or such other place as the Board of Governors of the Institute may decide.

vii) प्रस्तुत किए जाने वाले प्रलेखः Documents to be produced :
निम्नांकित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने चाहिए, जिन्हें जाँच के बाद लौटा दिया जाएगाः
The following original certificates should be produced for inspection and return :
क) शैक्षणिक व अन्य अर्हताओं के समर्थन में डिग्रियाँ, डिप्लोमा अथवा प्रमाण-पत्र.
ख) आपकी जन्म-तिथि के प्रमाणस्वरूप मेट्रीकुलेशन प्रमाण-पत्र अथवा अन्य कोई स्वीकार्य सबूत.
ग) भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी की ओर से चरित्र प्रमाण-पत्र.
a) Degrees, Diplomas or Certificate of Educational and other Technical Qualifications.

b) Matriculation Certificate or other acceptable proof of your date of birth.

c) A Character Certificate from a Gazetted Officer of the Government of India.

यदि आपके द्वारा दी गई कोई घोषणा या जानकारी मिथ्या सिद्ध होती है अथवा यदि यह पाया जाता है कि आपने कोई तात्विक जानकारी जानबूझ कर छिपाई है, तो आपको सेवा से हटाया जा सकता है और आपके विरूद्ध ऐसी कार्रवाई, जो आवश्यक समझी जाए, की जा सकती है.
If any declaration given or information furnished by you proves to be false or if you are found to have wilfully supressed any material information, you will be liable to removal from service and such other action as may deem necessary.

यदि आप उक्त निबंधनों व शर्तों पर यह प्रस्ताव स्वीकार करते हैं, तो कृपया अपनी स्वीकृति मेरे पास दिनांक .... तक प्रेषित कर दें. यदि विहित दिनांक तक कोई उत्तर नहीं मिलता, तो यह प्रस्ताव रद्द माना जाएगा.
Ifr you accept the offer on the above terms, you should communicate your acceptance to the undersigned by .... If no reply is received by the prescribed date, this offer will be treated as cancelled.

इस नियुक्ति पर कार्य ग्रहण करने के लिए यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा.
No travelling allowance shall be allowed for joining the appointment.

इस पत्र की पावती स्वीकार करें.
Please acknowledge receipt of this letter,

भवदीय Yours faithfully,

होटल प्रबंध, खानपान प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयुक्त पोषण संस्थान (कलकत्ता) सोसाइटी की ओर से और उनके लिए.
for an on behalf of the
Institute of Hotel Management, Catering Technology & Applied Nutrition (Calcutta) Society.